देवाराम वगै0 बनाम आनन्दी लालवगै0
प्रार्थना पत्र सं0 15 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

ासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.

र्ना पत्र संख्या :– 15 / 2022 पुराना,257/23 नया दायर तारीख :– 28.02.22

1. देवाराम पुत्र स्व0 भूराराम
2. बन्नाराम पुत्र स्व0 भूराराम
3. हीरालाल पुत्र स्व0 भूराराम
   समस्त जाति रैगर निवासी भैसलाना तहसील कि0 रेनवाल

प्रार्थी

बनाम

1. आनन्दीलाल पुत्र रामचन्द्र डबरिया जाति रैगर निवासी मंढा भीमसिंह तहसील कि0 रेनवाल
2. ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 भूराराम
3. गंगा पुत्री स्व0 भूराराम
4. कमला पुत्री स्व0 भूराराम
5. संतोष पुत्री स्व0 भूराराम
   समस्त जाति रैगर निवासीयान भैसलना तहसील कि0 रेनवाल
6. तहसीलदार कि0 रेनवाल।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :– श्री लोकेश कुमार शर्मा , विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री हनुमान जाखड, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

<u>निर्णय दिनांक 16/7/20</u>

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिसका संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 05 स्वर्गीय भूराराम के वारिस व उत्तराधिकारी है। भूराराम जी का स्वर्गवास वर्ष 2016 में हो चुका है। जिनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.0126 हैक्टैयर , खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6323 हैक्टैययर किता दो कुल रकबा 0.6459 हैक्टैयर वाके ग्राम भैसलाना तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जो वर्तमन में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ल0 5 के पिता/पति स्व0 भूराराम के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 05 स्व0 भूराराम के विधिक वारिस व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 05 स्व0 भूराराम के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। जिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 05 की काबिज होकर उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे हे। वादी गण व प्रतिवादी संख्या 2 ल0 05 अपनी उक्त खातेदारी भूमि के चारो ओर तारबंदी कर रखी है। तथा आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे है विवादित आराजीयात के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 1383/546 की सीवजोड प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी है। प्रतिवादी संख्या 01 का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 05 की भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 एक सरकारी कर्मचारी है। तथा अपने सहयोगियों एंव भू माफियों से मिलीभगत करके अपनी आराजीयात की आड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 05 की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू रहता है। तथा आयेदिन विवादित आराजीयात की सीमा डोल व तारबंदी को हटाये जाने पर आमदा रहाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व उनके सहयोगी बाहुबली व्यक्ति है जो कभी भी मौका पाकर वादीगण की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर सकते है। दिनांक 19.12.21 को प्रतिवादी संख्या 01 अपने 10–20 सहयोगियों को लेकर विवादित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

आराजीयात पर आया तथा जबरन वादीगण की लगी हुई तारबन्दी व पट्टियों को हटाने लगा एंव विवादित आराजीयात पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जब वादीगण ने इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 को कहा तो उसने धमकी दी कि तुम यहा से निकल जाओ तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण इत्यादि करूंगा तथा जमीन पर कॉलोनी बआउंगा । उक्त दिवस को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके सहयोगी किसी प्रकार से चले गये परन्तु जाते जाते वादीगण को धमकी दी कि मौका पाकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर लेंगें । जिसके सम्बन्ध में वादी देवाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय कि0 रेनवाल को भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2021 को देकर अवैध निर्माण व वादीगण की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की शिकायत भी की थी परन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 ज्यादा उग्र हो गया तथा वादीगण को धमकी दे रहा है कि वह उसकी तारबंदी का हटाकर जबरन कब्जा कर निर्माण इत्यादि करेगा। इसलिए वादी को अपनी सुरक्षा हेतु वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01 की ओर वकील हनुमान जाखड उपस्थित हुये तथा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय काउन्टर टी0आई0 पेश की । जो संक्षिप्त में इस प्रकार है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 1 में वाद पेश करना स्वीकार है। शेष गलत है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में आराजी वाके ग्राम भैसलाना में होना स्वीकार है। आराजी खसरा नम्बर 1383/546 रकबा 0.3720 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि है जिस पर वादीगण अवैध अतिक्रमण करना चाहते है। इस दावे की आड में नाजायज परेशान कर रहे है। जबकि वादीगण का उक्त उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करना चाहते है स्वंय की कब्जे खातेदारी की जमीन की वादीगण से सुरक्षा चाहते है। वादीगण को किसी प्रकार की धमकी नही दी गयी है। आरोप झूंठा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को नाजायज परेशान करने तथा उसकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने हेतु झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रतिवादी संख्या 01 की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1383/546 रकबा 0.3720 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 545 रकबा 0.0506 हैक्टैयर वाके ग्राम भैसलाना तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसका उपयोग उपभोग प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा किया जाता है। वादीगण उक्त आराजी के पडोडसी काश्तकार है। तथा झगडालू किस्म के व्यक्ति है। आये दिन विवाद करते है। प्रतिवादी संख्या 01 की जमीन की सींव तोडकर अवैध अतिक्रमण करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 के साथ आये दिन गाली गलोच करते रहते है। शराब पीकर उत्पात मचाते रहते है। प्रतिवादी संख्या 01 की कब्जे काश्त खातेदारी की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करा चाहते है। तथा हमेशा कब्जा करने की धमकिया देते रहते है। इस प्रकार से वादीगण की नियत में फितूर आया हुआ है। वे प्रतिवादी संख्या 01 को नाजायज हैरान व परेशान करके ऐनकेन प्रकारणे प्रतिवादी संख्या 01 को उसके कब्जे काश्त काश्त की जमीन से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 01 की आराजीयात से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमदा हो रखे है और वाद व प्रार्थना पत्र की आड में प्रतिवादी संख्या 01 को पांबद करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहते है। इसलिए वादीगण ने यह कतई गलत तथ्यों पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 को यह क्रोस टी0आई0 पेश करना आवश्यक हुआ है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 की आराजीयात मेंकिसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करे और नाही ही प्रतिवादी संख्या 01 को उसके कब्जे काश्त व उपयोग की जमीन से बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही सीवमेड इत्यादि का तोडे। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

संख्या 2 से 5 की ओर से वकील अनिल कुमार ने वकालतनामा पेश किया तथा कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया है। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर टी0आई0 का जवाब पेश नहीं किया गया । अतः जवाब बन्द किया गया ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 1 के काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा जवाब प्रार्थना पत्र से यह प्रतीत होता है कि वादी के आराजी जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 547 ,548 में प्रतिवादी संख्या 1 मजाहमत नहीं करे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रतिवादी की आराजी 1383/546, 545 में मजाहमत नहीं करे। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन , अपूरणीय क्षति उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वाके ग्राम भैसलाना 547, 548 जो प्रार्थीगण के खसरा नम्बर है जमाबन्दी के अनुसार जिसमें कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे । अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1383/546 व खसरा नम्बर 545 वाके ग्राम भैसलाना में प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि उसके कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे।

निर्णय दिनांक 16/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते